



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221676
CG-DL-E-11092020-221676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2757]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942

No. 2757]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2020

का.आ. 3104(अ).— केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधि द्वारा स्थापित किसी विशेष न्यायालय, एन आई ए और उच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मामलों में पैरवी करने के लिए एतद्वारा, विशेष लोक अभियोजकों (एस पी पी) के रूप में नियुक्त करती है :-

क्रमांक	विशेष लोक अभियोजक का नाम	राज्य
1.	श्री डी. इलांगो	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2.	सुश्री छाया मिश्र	बिहार
3.	श्री राम बिनय सिंह	बिहार
4.	श्री दिनेश पाणिग्रही	छत्तीसगढ़

5.	श्री अंजनी कुमार सिंह	छत्तीसगढ़
6.	श्री गगनदीप सिंह वासु	चंडीगढ़
7.	श्री रवि भूषण शर्मा	दिल्ली
8.	श्री राहुल त्यागी	दिल्ली
9.	सुश्री वयेधबेगम एच. येलार	गोवा
10.	श्री एस. सुरेश कुमार	लक्षद्वीप
11.	श्री सुरेंद्र सिंह	चंडीगढ़ और दिल्ली
जोड़	11 अधिवक्ता	11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

[फा. सं. 11034/30/2009/एनआईए]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2020

S.O. 3104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following advocates as Special Public Prosecutors (SPPs) for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any Special Courts, NIA and High Courts established by law in the territory of the States and Union Territories indicated against their names for three years with effect from the date of publication of this notification:-

Sr. No.	Name of the Advocates recommended by the Committee for appointment	Name of State/UTs for which appointed
1.	Shri D. Ilango	Andaman & Nicobar Islands
2.	Smt. Chhaya Mishra	Bihar
3.	Sh. Ram Binay Singh	Bihar
4.	Shri Dinesh Panigrahi	Chhattisgarh
5.	Sh. Anjani Kumar Singh	Chhattisgarh
6.	Shri Gagandeep Singh Wasu	Chandigarh
7.	Shri Ravi Bhushan Sharma	Delhi
8.	Shri Rahul Tyagi	Delhi
9.	Ms. Vayedhabegam H. Yelgar	Goa
10.	Shri S. Suresh Kumar	Lakshadweep
11.	Sh. Surender Singh	Chandigarh and Delhi
Total	11 Advocates	11 States/UTs

[F. No. 11034/30/2009/NIA]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.